108

न्यायालय में श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0

R 5168-III/16

1. ब्रज मोहन विश्वकर्मा

2. ब्रज किशोर विश्वकर्मा दोनों के पिता भैयालाल विश्वकर्मा दोनों निवासी ग्राम पाली थाना पाली जिला उमरिया म0प्र0 ....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

म0प्र0 शासन ....उत्तरदाता

श्री. अनिल कुमार प्र0एड0 एड द्वारा आज दिनांक 5-4-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त उमरिया तहसील बॉधवगढ जिला उमरिया के राजस्व प्रकरण कमांक 11/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24/02/2016

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50(1)म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि:–

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य– यह कि पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा आराजी खसरा नंबर 539/1क रकवा 0.189 हे0 स्थित ग्राम बडेरी प0ह0नं. 02 बडेरी वृत्त उमरिया तहसील बॉधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 की भूमि का नक्शा तर्मीम करते हुए सीमांकन किये जाने का आवेदन राजस्व निरीक्षक वृत्त उमरिया तहसील बॉधवगढ जिला उमरिया के समक्ष दिनांक 20/11/15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

यह कि राजस्व निरीक्षक उमरिया द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण से यह कहते हुए सादे कागजों पर हस्ताक्षर बनवा लिये कि नक्शा तर्मीम की कार्यवाही तहसीलदार बॉधवगढ करेंगे एवं नक्शा तर्मीम का प्रस्ताव मै बनाकर तहसीलदार के समक्ष भेजूॅगा व इसके पश्चात ही मै सीमांकन करुॅगा। पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा आर0आई0 उमरिया के कार्यालय में बैठकर ही अपने हस्ताक्षर बना दिये थे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5168–तीन/2016 निगरानी जिला उमरिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया दारा प्रकरण कमांक 11 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–2–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण के आवेदन पर उनके स्वामित्व की ग्राम बडेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 539/1क का हलका पटवारी के साथ राजस्व निरीक्षक ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 8–2–16 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 24–2–16 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्ध यह निगरानी है। आवेदकगण के अभिभाषक की आपत्ति है कि गलत नक्शा ट्रेस के आधार पर आवेदकगण की भूमि का सीमांकन करना दर्शाया है जबकि मौके पर सीमांकन किया	

ही नहीं गया है । विचार योग्य है कि यदि आवेदकगण राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह भूमि का पुर्नसीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख / सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एंव पारित आदेश दिनांक 24-2-16 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया दारा प्रकरण क्रमांक 11 अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24-2-16 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य